न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2024 / 21 — दर्ज तिथिः– 08.05.2024

1. रामचन्द्र पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

..................प्रार्थी

बनाम

1. रूघाराम दत्तक पुत्र जिवणी जाति जाट निवासी ग्राम बीनासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. गंगाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बीनासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. चिमनाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बीनासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. नानुराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बीनासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. महावीर प्रसाद पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. महावीर प्रसाद पुत्र नारायण जाति जाट निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. गिरधारीलाल पुत्र नारायण जाति जाट निवासी बीनासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

.... अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री सुरेन्द्र राहड़
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 08.10.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 23 / 1.1382 हैक्ट. व खसरा संख्या 613 / 35 / 4.7803 हैक्ट. वाके ग्राम [illegible] तहसील चूरू में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खाते[illegible]जी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा, [illegible] उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं [illegible] प्रार्थीगण की [illegible] के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रा[illegible]रा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार चूरू के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार चूरू के आदेश की पालना में दिनांक 29.04.2024 को पटवारी हल्का बीनासर द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 द्वारा निशानात मौके से मिटा दिये गये व पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 द्वारा पुख्ता पत्थरगढ़ी बाबत् ऐतराज किया रहा है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 23/1.1382 हैक्ट. व खसरा संख्या 613/35/4.7803 हैक्ट. वाके ग्राम बीनासर तहसील बीनासर की पत्थरगढ़ी दिनांक 29.04.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील के अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 29.04.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.*** *—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071—2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी ग्राम बीनासर में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार चूरू द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम बीनासर के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक दिनांक 29.04.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार चूरू के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। सीमाज्ञान उपरान्त अप्रार्थीगण सं 1 से 7 की ओर से सीमाज्ञान निशानात को मिटाया गया है जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 23/1.1382 हैक्ट. व खसरा संख्या 613/35/4.7803 हैक्ट. वाके ग्राम बीनासर पटवार हल्का बीनासर तहसील चूरू पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 08.10.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)